न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी जिला झुन्झुनूं (राज0)

निर्णय मिसल संख्या/नयाबत /30/20 अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

सरकार

बनाम

श्री सुभाश पिता बालूराम, रोशन पिता मखन जाति मीणा निवासी नौरंगपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।

निर्णय दिनांकः– 18 दिसम्बर 2020

पत्रावली पेश हुई। आवाज पर कोई हाजिर नहीं। आगे पत्रावली का अवलोकन किया तो जाहीर हुआ है कि पटवारी हल्का नौरंगपुरा के द्वारा इस आशय की रिपोर्ट पेश की गई है कि ग्राम नौरंगपुरा स्थित राजकीय भूमि ख0न0 588 के रकबा 0.48 है0 में से रकबा 0.48 है0 किस्म गैर मुमकिन बनी में आवासीय मकान एंव बाजरा काश्तकर श्री सुभाश पिता बालूराम, रोशन पिता मखन जाति मीणा निवासी नौरंगपुरा के द्वारा अतिकमण कर लिया है।

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी प्रकरण दर्ज कर अतिकमी के नाम सबूत एवं सुनवाई हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। जारी नोटिस के जवाब मे गैरसायलान की ओर से उपस्थित वकील ने वकालतनामा पेश किया तथा सबूत हेतु अवसर चाहा। परन्तु बार–बार अवसर देने के उपरान्त भी वकील गैरसायलान के द्वारा कोई जवाब एंव सबूत आदि पेश नहीं किये गये है।

अतः गैर सायलान की अदम हाजिरी में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर, मुताबिक रिपोर्ट पटवारी प्रश्नगत भूमि पर अतिकमी घोषित किया जाकर बेदखल किया जाता है। तथा सरह लगान 5 रूपया का 50 गुणा= 250 / रूपये तावान कायम एवं वसूल का आदेश दिया जाता है। टी0आर0ए0 एवं पटवारी हल्का को वसूली हेतु मांग कायमी करवाई जावे। भू अभिलेख निरीक्षक तथा पटवारी हल्का के नाम भौतिक मौका बेदखली हेतु आदेश जारी हो। पत्रावली फेसल सुमार होकर नम्बर से कम हो, तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

तहसीलदार खेतड़ी (राज.)

(कृष्ण सिंह)

तहसीलदार खेतड़ी

रा. ले. सं. 6 वर्ष 2021

पृष्ठ नं. 48 पर राशि 250/-

कायम की गई।

तहसील राजस्व लेखाकार

24/12/20